न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— रमेशकुमार कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 2025 / 62

1. धीरज कुमार पुत्र मुंशीलाल जाति सचदेवा निवासी एक्सरे गली, नारायण ब्रेड फैक्ट्री के पास, सादुल कॉलोनी, बीकानेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक :— 10.07.2025

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गौड़ अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय सरपंच, ग्राम पंचायत 5 के.वाई.डी. नामान्तरणकरण संख्या 169 दिनांक 21.09.2021 कानून व नियमों के विपरीत तथा अपीलांट को सुनवाई का अवासर प्रदान किये बगैर एकतरफा तौर पर पारित किया गया है जो कि हर प्रकार से निरस्त योग्य है। चक 8 के.वाई.डी. के मु.नं. 196 / 47 की तादादी 6.3225 है. भूमि शिवारतन पुत्र मंगलाराम जाति खत्री निवासी पूगल की स्वअर्जित खातेदारी भूमि थी। शिवतन लाऔलाद थे। उन्होने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत रूबरू गवाहान अपने सगे भतीजे अपीलांट के नाम से दिनांक 31.01.2018 को कर दी थी। शिवरतन का स्वर्गवास दिनांक 09.11.2023 को हो चुका है ऐसी स्थिती में उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट बाई आपरेशन ऑफ लॉ इस भूमि का एकमात्र विधिक अधिकारी व खातेदार हो चुका है तथा अपीलांट को उक्त भूमि को हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने के समस्त अधिकार हासिल हो चुके है नकल वसीयतनामा व मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। भूमि के खातेदार स्व. शिवरतन ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि की वसीयत अपीलांट के नाम कर दी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि की वसीयत के बावजूद भी उक्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 169 निर्वसीयति आधार पर दर्ज कर दिया जो कि हर प्रकार से कानून व नियमो के विपरीत था क्योंकि यदि अधीनस्थ न्यायालय भूमि के मौके की जांच करता तो उक्त भूमि पर अपीलांट के कब्जे काश्त व वसीयत के आधार पर निश्चित रूप से अपीलांट के नाम से दर्ज किया जाता। परन्तु एकतरफा कार्यवाही के कारण समस्त कार्यवाही कानून व नियमों के विपरित की गई। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन नामान्तरणकरण को निरस्त करते हुए वसीयत अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जानी आवश्यक है। उक्त भूमि स्व. शिवरतन जी की स्वअर्जित खातेदारी भूमि थी तथा उन्होने अपनी स्वतंत्र सहमति से उक्त भूमि की वसीयत अपीलांट के नाम से लिखी थी तथा वसीयतदार शिवरतन ने वसीयत में अपनी पत्नि आनन्दी देवी को उक्त वसीयत की कद्र व पालना करने का स्पष्ट निर्देश भी दिया था जिसके आधार पर कानूनन आनन्दी देवी को उक्त भूमि से केवल मात्र उपयोग के ही अधिकार थे परन्तु इसके बावजुद भी वसीयत को नजर अंदाज करके जो अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया है वह कानून व नियमों के विपरीत है चूंकि अब आनन्दी देवी का भी स्वर्गवास हो चुका है तो वसीयतकर्ता की उक्त शर्त का भी पालन हो चुका है तथा उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला-बीकानेर)

वसीयत अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपीलांट उक्त भूमि का वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिए रेस्पोडेन्ट के पास गया तो उन्होने श्रीमान जी के समक्ष कार्यवाही करने के लिए कहा जिसके आधार पर अपीलांट उक्त अपील श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि की वसीयत होने के बावजुद भी रिकॉर्ड में जो विरासतन नामान्तरकरण दर्ज किया गया है उससे अपीलांट के हित प्रभावित हुए हैं तथा अपीलांट उक्त अधीनस्थ आदेश के प्रभावित आवश्यक पक्षकार व कानूनन एकमात्र विधिक अधिकारी होने के आधार पर श्रीमान जी के समक्ष उक्त अपील पेश कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश से प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार मानते हुए अपील को दर्ज रजिस्टर करने के आदेश प्रदान करें। अपील अपीलांट प्रस्तुत कर अर्ज है कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय सरपंच, ग्राम पंचायत 5 के.वाई.डी. नामान्तरकरण सं. 169 दिनांक 21.09.2021 को निरस्त फरमाते हुए अपीलांट के नाम से वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के निर्देश प्रदान करते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला को नोटिस जारी किया गया। पत्रावली पर सुना गया। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के कथनों को दोहराते हुवे अपील स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व जैरअपील आदेश का घ्यानपूर्वक से अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत 5 केवाईडी का नामान्तरणकरण सं0 169 दिनांक 21.09.2021 निरस्त कर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आशय से रिमान्ड की जाती है कि कि प्रकरण धारा 135(2) एलआरएक्ट में दर्ज कर संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार आदेश पारित करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला (जिला-बीकानेर)
(खाजूवाला)